## <u>न्यायालयः</u>— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी <u>जिला</u>—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण क.-443/07</u> संस्थापित दिनांक-21.09.2007 Filling no-235103000052007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

#### विरुद्ध

- 1- बहादुर सिंह पुत्र कोमल सिंह उम्र 55 साल
- 2- गुलाब बाई पत्नी बहादुर यादव उम्र 54 साल
- 3- बृजेश पुत्र बहादुर सिंह यादव उम्र 30 साल
- 4— आनन्दा बाई पुत्री बहादुर सिंह उम्र 28 साल निवासीगण— ग्राम छपरा थाना चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

.....आरोपीगण

.....अभियोजन

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 26.04.2017 को घोषित)</u>

01— आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323/34, 324/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 15.03.2007 को 17 बजे ग्राम छपरा के हार मे प्रार्थीगण गुड्डन बाई, संध्या बाई तथा भगवती बाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में सभी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं प्रार्थी बबीताबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में बबीता की स्वेच्छया मारपीट कर उपहित कारित की।

02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया भगवतीबाई ने अपने ससुर कोमल, लड़की बबीता, गुड़ड़न, संध्या के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 15.03.2007 को 7 बजे की बात है कि वह अपने खेत पर गेहूं काट रही थी। फरियादिया और आरोपी बहादुर का खेत पास में लगा हुआ है। बहादुर के खेत की फसल कट गई थी। उसके खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी जिसमें बहादुर के मवेशी आ गये थे, तभी उसने बहादुर सिह, गुलाब बाई, ब्रजेश, आनन्दी से कहा कि मवेशी को खेत में नहीं आने दो, तभी चारो आरोपीगण गालियां देने लगे गालियां देने से मना किया तो बहादुर ने धक्का देकर पटक दिया वह गिर गई, गिरने से उसकी कमर में चोट आ गई। उसकी लड़की बबीता, संध्याबाई, गुड़ड़न बाई की ब्रजेश, गुलाबबाई, आनन्दबाई ने मारपीट की थी। शाम होने के कारण वह रिपोर्ट करने घटना के अगले दिन गई थी। पुलिस ने उसका, गुड़ड़नबाई, संख्याबाई,

# //2//दाण्डिक प्रकरण कमांक-443/07

Filling no-235103000052007

बबीता का मेडिकल कराया था। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

### 04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 15.03.2007 को 17 बजे ग्राम छपरा के हार में प्रार्थीगण गुड्डन बाई, संध्या बाई तथा भगवती बाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में सभी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर प्रार्थी बबीताबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण मे उसकी स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की ?

#### :: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय प्रश्न क. 1 व 2 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी भगवतीबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह समस्त आरोपीगण को जानती है। घटना साक्षी के न्यायालयीन कथनों से करीब 5-6 साल पहले की है। आरोपीगण ने उसकी गेहूं की फसल में मवेशी अन्दर कर दिये थे। जब वह मवेशी को भगाने गई तो आरोपी बहादूर ने उसे लट्ड मारे, उसे पीठ पर, हाथ पैर पर लट्डो से मारपीट की थी और एक छड़ी से बबीता की मारपीट की थी। छड़ी ब्रजेश लिये हुए था और संध्या को चोटी पकडकर मारा था। गुलाबबाई उसकी छाती पर बैठ गई थी और उसे पूरे शरीर में हाथ, पैर व जांघ एवं कमर में भी लट्ठ मारे थे जिससे उसे चोटे आ गई थी। भगवती बाई अ०सा०1 ने घटना की रिपोर्ट की थी। पुलिस खेत पर आई थी और उसकी डॉक्टरी भी हुई थी। साक्षी को अदम चैक रिपोर्ट प्र.पी.1 का ए से ए भाग अर्थात सम्पूर्ण पुलिस रिपोर्ट पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि उसने वैसी ही रिपोर्ट लिखाई थी तथा नक्शामौका प्र.पी.2 दिखाये जाने पर साक्षी ने कहा कि ऐसा नक्शामौका मौके पर बनाया था।

## //3//दाण्डिक प्रकरण कमांक-443/07

Filling no-235103000052007

- 06— गुड्डन अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना 6—7 साल पहले की होकर शाम लगभग 4 बजे की है। आरोपीगण ने उसकी मां भगवती बाई के साथ मारपीट की थी वहां पर उसकी एक बहन बबीता घर आई और कहने लगी कि आरोपीगण ने तुम्हारी मां को मार डाला तो वह दौडकर खेत पर पहूँची थी। आरोपीगण उसकी मां को रास्ते में लट्ठ मारा और आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की तथा साक्षी गुड्डन की लडकी संध्या को भी चोट आई। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे एक बांए हाथ कंधे में लट्ठ मारा था और पीठ में गुम्मे मारे थे और भी शरीर में कई जगह मुंदी चोटे थी।
- 07— संध्या अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उसकी बहन गुड्डन बाई को मारा था। मेरी बहन ने मुझे उपर कर दिया तो मेरे हाथ में चोट आ गई थी और मेरे माथे पर आनन्दीबाई ने एक छडी मारी थी। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी लोहे की छडी लिये हुए थे। लोहे की छड आरोपी बहादुर सिंह लिये हुए था।
- 08— बबीता अ0सा08 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। फरियादी भगवती बाई उसकी मां है। घटना वर्ष 2007 की होकर 2—3 बजे की है। ब्रजेश व बहादुर सिंह ने लकड़ी के पटला से मारा था जिससे उसके सिर में, हाथ में, पैर में चोट आई थी। साक्षी का कहना है कि घटना के समय थोड़ी दूरी पर थी। आरोपीगण ने उसकी मां की मारपीट के अलावा उसको भी धक्का दिया था। घटना के समय बहन संध्या व राजकुमारी थी अथवा नहीं साक्षी को ध्यान न होना व्यक्त किया तथा मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में व्यक्त किया कि उसके साथ केवल धक्का मुक्की हुई थी।
- 09— भगवती बाई अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त करती है कि आरोपी बहादुर ने उसे पीठ, हाथ व पैर में लट्ठों से मारा था और बबीता ने छड़ी से मारपीट की थी तथा आरोपी गुलाब बाई उसकी छाती पर बैठ गई थी किन्तु जब पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 के ए से ए भाग अर्थात सम्पूर्ण पुलिस रिपोर्ट पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने कहा कि वैसी ही रिपोर्ट उसने लिखाई थी। पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 का अवलोकन करने से उसमें अंकित है कि चारो आरोपीगण गालियां देने लगे थे और मना करने पर बहादुर सिह ने रिपोर्टकर्ता एवं प्रकरण की फरियादी भगवतीबाई को धक्का देना एवं आरोपी ब्रजेश, गुलाब, आनन्दी ने मारपीट की जिससे लड़की बबीता, गुड़डनबाई व संध्या को चोटे आई। इस प्रकार साक्षी भगवती बाई उसके न्यायालयीन कथनो में मारपीट के संबंध में अलग घटना कम बताती है वही दुसरी ओर पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 में उल्लेखित बाते सही होना स्वीकार करती है जोकि दोनो ही बाते एक दूसरे की पूर्णताः विपरीत है।
- 10— न्यायालयीन कथनो में साक्षी भगवती बाई का कहना है कि घटना के समय अतल सिंह फसल काट रहे थे और जब वह चिल्लाई तो उदयभान, वैजनाथ,

### //4//दाण्डिक प्रकरण कमांक-443/07 Filling no-235103000052007

ओमकार एवं अन्य आस पास के लोग आ गये थे, जबिक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी अतल सिंह अ0सा05 एवं उदयभान अ0सा06 ने उसके न्यायालयीन कथनों में अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया और घाटना उनके समक्ष न होना व्यक्त किया। भगवती बाई अ0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में व्यक्त किया कि आरोपीगण की मारपीट में वह बेहोश हो गई थी एवं उसे पूरे शरीर व सिर में खून चिचा रहा था और बबीता संध्या को भी काफी ज्यादा चोटे आई थी। जबिक साक्षी भगवती बाई की चोटो का परीक्षण करने वाले डॉक्टर आर.पी.शर्मा अ0सा07 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि आहत भगवती बाई को बांये पुट्ठे पर एक नीलगू निशान जिसका आकार 1 गुणा 1 इंच था पाया था तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उक्त चोट कमर के बल बलपूर्वक गिरने से आना संभव है, यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि आरोपीगण ने भगवती बाई की मारपीट की थी तब मुलाइजा फार्म में उक्त चोटो का उल्लेख क्यों नहीं है और न ही चिकित्सीय परीक्षण में ऐसी किसी गंभीर चोट का उल्लेख है।

- 11— भगवती बाई अ0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण की उससे 20 साल से रंजिश चल रही है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में बचाव पक्ष के इस सुझाब को अस्वीकार करती है कि उसने घटना की दुसरे दिन रिपोर्ट की थी। साक्षी का कहना है कि वह उसी दिन रिपोर्ट लिखाने रात 8 बजे गई थी जबिक पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि घटना घटना दिनांक 15.03.07 को करीब 17:00 बजे अर्थात शाम 5 बजे की होना लेख है जबिक थाने पर सूचना का दिनांक 16.03.07 को 17:00 बजे होने का उल्लेख है तथा घटना स्थल से थाने की दुरी 15 किलोमीटर होने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि घटना दिनांक 15.03.07 को शाम 5 बजे की है तब घटना की रिपोर्ट उसी दिन लेखबद्ध न कराकर उसके अगले दिन ही अत्यधिक विलम्ब से अर्थात 16.03.07 को शाम 5 बजे होना उल्लेखित है।
- 12— गुड्डन अ०सा02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार करती है कि घटना के समय उसकी मां भगवती बाई खेत पर थी तथा वह धार पर थी तथा इस बात को भी स्वीकार करती है कि उसने भगवती बाई की मारपीट करते नहीं देखा है और न ही भगवती बाई ने उसकी मारपीट करते हुए देखा है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि आरोपीगण देव बब्बा के यहा पर हथियार कुल्हाडी, बल्लम, कट्टा लिये हुए थे जिसे उसने देखा था। संध्या अ०सा03 ने भी उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में बताया कि बहादुर ने उसके सिर में छडी मारी थी और आनन्दाबाई ने उसके सिर में छडी मारी थी और आरोपीगण कुल्हाडी, छडी और कट्टा लिये हुए थे तथा गुलाब बाई फर्सा लिये हुए थी। प्रकरण में आहत भगवती बाई, गुड्डन, संध्या, बबीता आरोपीगण द्वारा अलग—अलग हथियारो से मारना व्यक्त करती है किन्तु प्रकरण में आरोपीगण से न तो किसी हथियार को जप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है और न ही उक्त साक्षीगण ने उक्त पुलिस रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में कुल्हाडी, छडी, कट्टा और फर्स वाली बात का उल्लेख है जो कि

#### //5//दाण्डिक प्रकरण कमांक-443/07 Filling no-235103000052007

सारभान प्रकृति का है जिसका उल्लेख प्र.पी. 1 की रिपोर्ट में नहीं है। यदि उक्त साक्षीगण के द्वारा उक्त तथ्यो को पुलिस को बताया होता तो निश्चित ही उसका उल्लेख पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 में होता है।

13— प्रकरण में यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि अभियोगी भगवती बाई ने अभियुक्तगण के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट लेखबद्ध कराने का क्या हेतुक रहा है । अभियोगी भगवती बाई ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में व्यक्त किया कि उसके व आरोपीगण के कई केस चल रहे है और आरोपीगण से उसकी जमीन के उपर से 20 साल से रंजिश चल रही हैं। उक्त तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्राबधान अन्तर्गत अभियोगी के शील से संबंधित है। उक्त तथ्यों के आलोक में अभियोगी को अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध में संलिप्त किये जाने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट कराये जाने बाबत् हेतुक विद्यमान होना अभिलेख एवं साक्ष्य से प्रकट होता है। यशवंत सिह यादव अ०सा०४ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि उसके द्वारा वर्तमान प्रकरण की विवेचना की गई थी जिसमें साक्षी गुड्डन, भगवती बाई, उदयभान, अतल सिह के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे और प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाब को अस्वीकार किया कि उसने साक्षीगण के कथन उसके बताए अनुसार लेखबद्ध नहीं किये थे।

14— अभियोजन साक्ष्य में अभियोगी भगवती बाई, गुड्डन, संध्या, बबीता के न्यायालयीन कथनो में घटना के सारभान तथ्यो को लेकर अत्यधिक विरोधाभास, लोप, विसंगति होने के साथ साथ घटना को अभिवृद्धित करने का भी प्रयास किया गया है जिसे उक्त साक्षीगण के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। अनुसंधान अधिकारी यशवंत सिंह यादव अ०सा०४ के कथनो एवं प्र.पी.1 की रिपोर्ट से उक्त लोप एवं विसंगति स्पष्ट रूप से स्थापित होती है यहां इस तथ्य का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि घटना दिनांक 15.03.07 को शाम 5 बजे की होना कथित है जिसकी रिपोर्ट थाने पर 16.03.07 को शाम 5 बजे की गई है जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी महज 15 किलोमीटर हैं। इस प्रकार विलम्ब से की गई रिपोर्ट का भी कोई समाधान का कारण नहीं बताया गया है। अभियुक्तगण एवं अभियोगी के मध्य जमीन को लेकर 20 वर्ष से रंजिश होना भी प्रमाणित है। इन समग्र परिस्थितियों में घटना संदेहास्पद हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 15.03.2007 को 17 बजे ग्राम छपरा के हार मे प्रार्थीगण गुड्डन बाई, संध्या बाई तथा भगवती बाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में सभी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं प्रार्थी बबीताबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण मे उसकी स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण बहादुर सिंह, गुलाब बाई, बुजेश, आनन्दा बाई निवासी ग्राम छपरा थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0 को भा.द.वि. की धारा 323/34, 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

### //6//दाण्डिक प्रकरण कमांक-443/07

Filling no-235103000052007

- **15** अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 16- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।
- 17- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0